प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

946-75

पत्र संख्या : एस0पी0एम0यू0/किशोर स्वास्थ्य/विफ्स/07/2020–21/ दिनांक : 15.06.2020

विषय : कोविड–19 के दौरान विफ्स कार्यक्रम के अन्तर्गत स्कूल जाने वाले किशोर छात्र–छात्राओं को VHSND के दौरान आयरन की गोलियां वितरित कराने के संदर्भ में।

महोदय,

आप अवगत है कि आर0के0एस0के0 के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में एनीमिया मुक्त भारत के उद्‌देश्य से विफ्स कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। कार्यक्रम के अन्तर्गत 10 से 19 वर्ष के समस्त सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय जाने वाले छात्र–छात्राओं को विद्यालयों एवं स्कूल न जाने वाली किशोरियों को आंगनबाड़ी के माध्यम से प्रति सप्ताह निश्चित दिवस पर आयरन की नीली गोली खिलाई जाती है।

मार्च माह से कोविड–19 के कारण लॉकडाउन के दिशानिर्देशों के अनुसार जनपदों में स्कूल बन्द चल रहें है। परिणाम स्वरूप स्कूलों में छात्र–छात्राओं को आयरन वितरण एवं उपभोग व्यवस्था बाधित हुई है। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के निर्देशानुसार किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत स्कूल जाने एवं न जाने वाले लाभार्थियों को समुदाय स्तर पर आयरन की गोली वितरित की जानी है। उक्त निर्देश के अनुपालन में राज्य स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त प्रदेश में विद्यालय खुलने तक स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र–छात्राओं को आयरन वितरण एवं उपभोग के संदर्भ में निम्नवत् व्यवस्था की जानी है–

1. स्कूल जाने वाले छात्र–छात्राओं को आई0एफ0ए0 ब्लू गोली का वितरण ग्राम/शहरी स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस (VHSND/UHSND)के दौरान ए0एन0एम0 के द्वारा किया जाये। सुगमता के लिए छात्र–छात्राओं को कम से कम दो माह हेतु (प्रति सप्ताह एक गोली के अनुसार) आयरन की गोलियां उपलब्ध कराई जायें।
2. विद्यालयों में पढ़ने वाले किशोर किशोरियों को सत्र पर लाने हेतु मोबिलाईजेशन का कार्य आशा द्वारा किया जायेगा।
3. सत्र पर पहुंचने वाले किशोर–किशोरियों को आयरन की गोली के उपभोग एवं सम्भावित दुष्परिणामों के बारे में आंगनबाड़ी कार्यकत्री परामर्श दिया जायेगा।
4. इस गतिविधि के दौरान सोशल डिस्टेन्सिंग एवं मास्क का प्रयोग एवं सैनीटाईजेशन सुनिश्चित किया जाये।
5. प्रत्येक VHSND/UHSND सत्र हेतु ए0एन0एम0 को आयरन की नीली गोलियां सम्बन्धित सी0एच0सी0 पी0एच0सी0 से उपलब्ध कराई जायें। इस गतिविधि का जनपदीय नोडल अधिकारी आर0के0एस0के0 द्वारा अनुश्रवण किया जाये।

6. ए0एन0मए0 द्वारा वितरित की गई आयरन की गोलियों का रिकार्ड उनके द्वारा स्वंय के स्तर पर रखा जायेगा।
7. छात्र–छात्राओं को वितरित की गई आयरन की गोलियों की रिपोर्ट ए0एन0एम0 द्वारा सी0एच0सी0 को प्रत्येक माह की मासिक रिपोर्टिंग साईकिल के अनुसार उपलब्ध कराई जायेगी। जिसकी संकलित रिपोर्ट ब्लाक सी0एच0सी0 द्वारा यू0पी0एच0एम0आई0एस0 पोर्टल पर ससमय अपलोड किया जायेगा।

ये व्यवस्था मात्र स्कूल बन्द रहने तक लागू होगी। तदोपरान्त पूर्व व्यवस्था लागू हो जायेगी। उक्त के क्रम में समस्त जनपद एवं ब्लाक स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित कर अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीय

(विजय विश्वास पन्त)
मिशन निदेशक

पत्र संख्या : एस0पी0एम0यू0/किशोर स्वास्थ्य/विफ्स/07/2020–21/ **तद्दिनांकः**
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0।
3. अधिशासी निदेशक, टी0एस0यू0, उ0प्र0।
4. समस्त अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
5. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0।
6. समस्त महाप्रबन्धक, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, उ0प्र0, लखनऊ।
7. समस्त जनपदीय नोडल अधिकारी आर0के0एस0के0, उ0प्र0।
8. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक एवं जनपदीय आर0के0एस0के0 कोआर्डिनेटर/डी0ई0आई0सी0 मैनेजर, उ0प्र0।
9. राज्य प्रतिनिधि यूनिसेफ एन0आई0, पी0एफ0आई0, पी0एस0आई0, जे0एस0आई0, वात्सल्य, ममता, मिलान, ब्रेक थ्रू, वर्ल्ड विजन एवं सोच संस्थान उक्त गतिविधियों में अपेक्षित सहयोग देने हेतु।

(डा0 मनोज कुमार शुक्ल)
महाप्रबन्धक–किशोर स्वास्थ्य